वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर द्वारा विकासखण्ड परिक्षेत्र मैनपाट के ग्राम पथरई के कुल राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ के जंगल) के कुल 99.350 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देश तथा प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है:—

i) कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण पृथक गैर वन भूमि पर सुनिश्चित किया जाये ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े।

ii) सेफ्टी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फैसिंग की जानी होगी जिससे वन क्षेत्र की सुरक्षा हो सके।

दिनांकः 16/09/2016
स्थानः रायपुर

(बी.एल. सरन) 16/9
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़